

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाष-फैक्स नं० 01733-230537 E-mail: dfomorni@gmail.com

क्रमांक: 99

दिनांक: 24/4/2025

सेवा में

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एफ०सी०ए०, हरियाणा, पंचकुला।

विषय : Diversion of 0.98 Hectare Forest Land for construction of link road from Thapli-Barisher Road to Village -Koti in tehsil-Morni, Distt. Panchkula, Haryana.
(FP/HR/ROAD/156170/2022)

सन्दर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ कार्यालय का पत्र दिनांक 06.08.2024

संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में मांगी गई बिन्दुसार सूचना निम्नप्रकार से है:-

1. The State Government has submitted the site inspection was carried on the 11.04.2024, however, no specific note regarding the visible construction of road has been provided. Hence, the State Government is requested to submit the specific note on the possible violation of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.98 ha को डाईवर्ट करने हेतु उक्त केस किया गया था, उस समय तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा मौके की रिपोर्ट में थापली-बड़ीशेर पी०डब्ल्यू०डी० रोड से कोटी गांव के अन्तर्गत (a) $560m \times 6.50m = 3640 m^2$ (b) $1040m \times 5.50m = 5720 m^2$ (c) $80m \times 5.50m = 440 m^2$ कुल $9800 m^2$ अर्थात् 0.98 है० एरिया दर्शाया गया था जिसमें अंकित किया गया था कि $4760 m^2$ एरिया पहाड़ काटकर व बचाव दीवार लगाकर रास्ता बनाया जायेगा। जिससे स्पष्ट है कि वहां $5040 m^2$ रास्ता पहले से ही कच्चा था।

इसके पश्चात् दिनांक 11.04.2024 को प्रस्तावित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया व देखा गया था कि उक्त कच्चा रास्ता जो पहले से ही बना हुआ था जिसको पक्का करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया।

अब दिनांक 16.04.2025 को पुनः मौका निरीक्षण किया गया व पाया गया कि मौकानुसार कोई भी कार्य नहीं किया गया है व ना ही भौगोलिक स्वरूप बदला है तथा वन (संरक्षण एवं सर्वधन) अधिनियम 1980 की कोई भी उल्लंघना नहीं की गई है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी-पिंजौर वन मण्डल
पिंजौर।

क्रमांक: 100

दिनांक: 24/4/2025

एक प्रति वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी-पिंजौर वन मण्डल
पिंजौर।